

Witness No. 01 For अनावेदक क्र० 3 Deposition taken
the 13th day of August 2026 Witness's apparent age..... 52 Yrs.
States On Affirmation..... शपथपूर्वक संजीव कुमार
Son of..... श्री हीरालाल प्रसाद सहायक प्रबंधक
Address..... न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बिलासपुर (छ०ग०)

मुख्य परीक्षण द्वारा सुश्री उमा राव अधिवक्ता वास्ते- अनावेदक क्र० 3

1. मैं सितम्बर 2022 से वर्तमान तक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बिलासपुर (छ०ग०) में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ।
2. हमारी कंपनी द्वारा वाहन ट्रैक्टर क्रमांक CG-04HR-6343 का बीमा बीमा पॉलिसी क्रमांक 46040131230100012038 के अनुसार कमर्शियल व्हीकल पैकेज पॉलिसी के रूप में पदुम लाल साहू के नाम से दिनांक 28.02.2024 से 27.02.2025 की मध्य रात्रि की अवधि तक के लिए मोटरयान अधिनियम एवं बीमा पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अंतर्गत बीमा किया गया है। बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति प्र०डी० 1 है जो 02 पेज में है।
3. अपराध क्रमांक 10/2025 दिनांक 04.01.2025 का पुलिस थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन क्रमांक 06/2025 दिनांक 14.01.2025 की सत्यापित प्रति प्र०डी० 2 है जो 04 पेज में है।
4. प्र०डी० 1 की पॉलिसी के अ से अ भाग पर उल्लेख अनुसार ट्रैक्टर में बैठक क्षमता चालक सहित 01 है। अंतिम प्रतिवेदन प्र०डी० 2 एवं अपराध विवरण फार्म प्र०पी० 3 के अ से अ भाग पर उल्लेख अनुसार, दुर्घटना के समय मृतक लक्ष्मीनारायण ट्रैक्टर के इंजन में चालक के साथ बैठा था। बीमा पॉलिसी प्र०डी० 1 एवं आर०सी० प्र०पी० 13 के अनुसार ट्रैक्टर में बैठक क्षमता चालक सहित 01 व्यक्ति की है। जिसके फलस्वरूप बीमा पॉलिसी प्र०डी० 1 के अंतर्गत चालक के अतिरिक्त ट्रैक्टर में बैठे अन्य किसी व्यक्ति का रिस्क कवर नहीं करती है जिससे बीमा कंपनी मृतक के संबंध में रिस्क कवर नहीं होने से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राजेंद्र पटेल अधिवक्ता वास्ते- आवेदकगण

5. हमारी कंपनी द्वारा की गई पॉलिसी पैकेज पॉलिसी थी। यह कहना सही है कि चालक के अतिरिक्त यदि किसी अन्य व्यक्ति का दुर्घटना में मृत्यु होती है तो

वह तृतीय पक्षकार की श्रेणी में आता है । स्वतः कहा कि प्र०डी० 1 एवं प्र०पी० 13 के अनुसार प्रश्नाधीन वाहन में कुल बैठक क्षमता चालक सहित 01 व्यक्ति की है इसके अलावा वाहन में सवार किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई दायित्व बीमा कंपनी का नहीं बनता है ।

6. यह कहना सही है कि मैंने दुर्घटना होते नहीं देखा हूं । यह कहना गलत है कि दुर्घटना होते नहीं देखा हूं इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मृतक ट्रैक्टर में बैठा था या नहीं । स्वतः कहा कि प्रकरण में संलग्न पुलिस दस्तावेज, दावा आवेदन तथा आवेदिका के शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 04 व्य०प्र०सं० के अनुसार मृतक ट्रैक्टर में बैठा था । यह कहना सही है कि हमारी कंपनी द्वारा अन्वेषक से जांच कराई जाती है । यह कहना सही है कि प्रकरण में अन्वेषक की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है । यह कहना गलत है कि मैं कंपनी को क्षतिपूर्ति के दायित्व से बचाने के लिए झूठा कथन कर रहा हूं ।

टीप- अनावेदक क्र० 1 एवं 2 पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

साक्षी को कथन पढ़कर सुनाया गया ।
उसने सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया ।

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बिलासपुर (छ०ग०)

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बिलासपुर (छ०ग०)

गवाह का हस्ताक्षर